# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई–1, सै0–1, नौएडा।

पत्राँक: 5780 /35–1 , गौतमबुद्धनगर, दिनाँक 27-06-2025

सेवा में

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषय :– मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 42/2025 (आई0ए0 संख्या 58/2025), गौतम शाही बनाम मैनेजमेंट कमेटी ऑफ रक्षा एन्कलेव व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– मा0 एन0जी0टी के आदेश दिनांक 29.01.2025

माहेदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित के क्रम में अवगत् कराना है कि मा0 एन0जी0टी द्वारा ओ0ए0 संख्या 42/2025 (आई0ए0 संख्या 58/2025), गौतम शाही बनाम मैनेजमेंट कमेटी ऑफ रक्षा एन्कलेव व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारी, सिकन्द्राबाद (कासना) रेंज को प्रश्नगत प्रकरण की जॉच हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी, सिकन्द्राबाद (कासना) एवं सोसाइटी के मैनेजर श्री सुभाष चन्द चौधरी के साथ उक्त सोसाइटी का स्थलीय निरीक्षण किया गया (संलग्नक फोटोग्राफ्स)।

अतः क्षेत्रीय वनाधिकारी, सिकन्द्राबाद (कासना) के पत्रांक 349/33–1 दिनांक 13.05.2025 द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट के अनुसार मौके पर सोसाईटी परिसर में किसी भी वृक्ष का पातन एवं शाख तराशी नहीं पायी गई। परिसर में लगे वृक्षों के तनों के आस–पास concretization नहीं पाया गया तथा इसके समीप कच्चा स्थान छोड़ा गया है। सोसाइटी अध्यक्ष/सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नौएडा द्वारा स्वीकृत ले आउट के अनुसार बनाया गया है।

अनुपालन आख्या सादर प्रेषित ळें

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

E/CC letters 2025

# कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्द्राबाद (कासना) रेंज, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, उ0प्र0।

पत्रांकः 349/33-1, (कासना) दिनांक 13 मई, 2025।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

विषयः मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0 42/2025 (आई0ए0 नं0 58/2025), गौतम शाही बनाम मैनेजमेन्ट कमेटी ऑफ रक्षा एन्कलेव व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 29.01.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका कार्यालय पत्रांक–3653/35–3, दिनांक 15–02–2025।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम मं सादर अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 42/2025 (आई0ए0 नं0 58/2025), गौतम शाही बनाम मैनेजमेन्ट कमेटी ऑफ रक्षा एन्कलेव व अन्य में पारित आदेश दिनॉक्ति 29–01–2025 के अनुपालन में उक्त सोसाईटी का स्थलीय निरीक्षण सोसाईटी सचिव श्री आर0एच0चीमा व सोसाईटी मैनेजर श्री सुभाष चन्द चौधरी के साथ किया गया। (फोटोग्राफ संलग्न)

मौके पर सोसाईटी परिसर में किसी भी वृक्ष का पातन एवं शाखा तराशी नही पायी गयी। परिसर में लगे वृक्षो के तनो के आस पास concretization नही पाया गया, तथा इसके समीप कच्चा स्थान छोडा गया है। सोसाईटी अध्यक्ष/सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा द्वारा स्वीकृत ले आउट के अनुसार बनाया गया है।

इस कार्यालय के पत्र संख्या 348/35–3 दिनॉक 13–05–2025 द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन हेतु सोसाईटी परिसर में प्रतिपूरक वृक्षारोपण करवाने हेतु लिखा गया था। उस कम में आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 42/2025 (आई0ए0 नं0 58/2025), गौतम शाही बनाम मैनेजमेन्ट कमेटी ऑफ रक्षा एन्कलेव व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 29–01–2025 में रेंज केस संख्या 12/2024–25 का उल्लेख किया गया है, उक्त रेंज केस में ई–3 संख्या 2707/79 दिनॉक 03–09–2024 द्वारा बतौर प्रतिकर धनराशि रु0 15000.00 वसूल किया गया है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

**संलग्नकः– यथोपरि।**

भवदीया,

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिकन्द्राबाद (कासना) रेंज
गौतमबुद्धनगर।

Scanned with OKEN Scanner

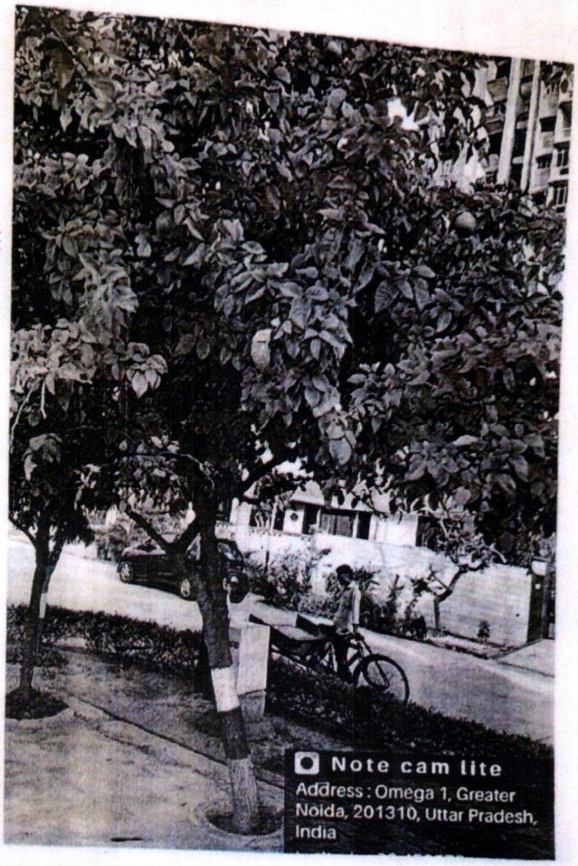

Scanned with OKEN Scanner

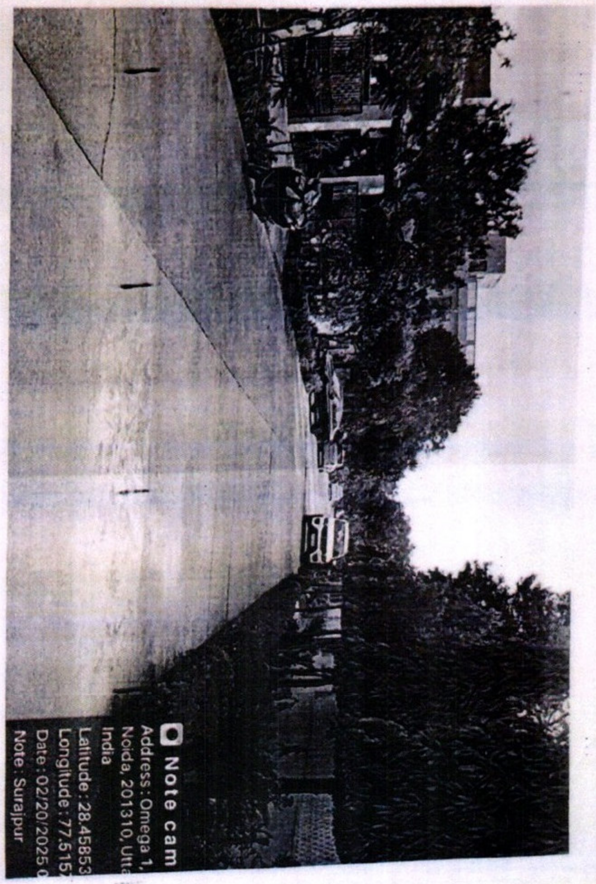


Scanned with OKEN Scanner